

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

धारा 107 दं०प्र०सं०

प्रथम पक्ष — दीपक रामबगैरह ।

बनाम

द्वितीय पक्ष — विजय सिंह बगैरह ।

वाद सं० 103/2022

आदेश की क० सं० एवं तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
24/2/23	उक्त वाद की कार्रवाई थाना बसिया के अप्राथमिकी सं० 34/2022 दिनांक 28/07/2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है प्रथम पक्ष (1) दीपक राम उम्र 30 वर्ष पिता रोपना राम (2) खिलेश्वर राम उम्र 40 वर्ष पिता रोपना राम सभी ग्राम केदलीपाकर टोली थाना बसिया जिला गुमला बनाम द्वितीय पक्ष (1) विजय सिंह उम्र 54 वर्ष पिता अनु सिंह (2) दीपक सिंह उम्र 23 वर्ष पिता विजय सिंह (3) छटु सिंह उम्र 18 वर्ष पिता विजय सिंह (4) रामवृत्त सिंह उम्र 48 वर्ष पिता अनु सिंह (5) बसंती देवी उम्र 50 वर्ष पति विजय सिंह (6) फनी देवी उम्र 44 वर्ष पति रामवृत्त सिंह सभी ग्राम केदली पाकरटोली थाना बसिया जिला गुमला के बीच बसिया थाना कांड सं० 53/2022, दिनांक 26/06/2022 धारा 147/148/149/452/341/323/307/357 (क)/504 भा०द०वि को लेकर विवाद है। फलस्वरूप उभय पक्षों के बीच शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना को लेकर प्रतिवेदित किया गया है। तदनुसार दं०प्र०सं० की धारा 107 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया । उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए :- उक्त वाद की कार्रवाई के दौरान द्वितीय उभय पक्ष के बीच किसी प्रकार से शांति भंग होने संबंधी सूचना थाना प्रभारी बसिया अन्य स्रोतों से अप्राप्त है। उक्त वाद की समय अवधि समाप्त हो चुकी हैं। अतः उभय पक्षों के बीच उक्त वाद की कार्रवाई के समय अवधि में किसी प्रकार की शांति भंग नहीं होने की सूचना अप्राप्त होने एवं वाद की कार्रवाई समाप्त होने के कारण उक्त वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है। लेखापित । अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)।	